आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2018(1) पेज नं. 379-390

चंदर कांता वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना)

न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष

चंदर कांता वर्मा-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. No.4741/2015

14 फरवरी, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 16-हरियाणा राज्य विद्यालय शिक्षा व्याख्याता विद्यालय संवर्ग (समूह-सी) सेवा नियम, 1998-हरियाणा राज्य विद्यालय शिक्षा व्याख्याता विद्यालय संवर्ग (समूह-सी) सेवा नियम, 2012-पर्याप्त अनुभव योग्यता की कमी का एक अच्छा विकल्प है-एम. ए. अंग्रेजी में 2 प्रतिशत से कम अंकों के कारण चयन समिति द्वारा नियुक्त तदर्थ व्याख्याता की सेवाओं को नियमित करने से इनकार किया गया-नियम ऐसे मामलों में सेवा की शर्तों में ढील देने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं-माना जाता है कि यह तकनीकी दोष उन्हें राज्य को 29 साल की मूल्यवान सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्ति लाभ के अनुदान से वंचित नहीं कर सकता है-याचिका मंजूर।

मान लिया कि याचिकाकर्ता ने हरियाणा के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने में 29 साल बिताए। उन्होंने नियुक्ति के समय अपनी शैक्षिक योग्यता के संबंध में कोई तथ्य नहीं छिपाया। वह एक योग्य बी. एड. थीं। हो सकता है कि एमए परीक्षा में उनके 2 प्रतिशत अंक कम रहे हों, लेकिन उस कमी को कई दशकों में किए गए कार्यों की तुलना में केवल एक तकनीकी खामी के रूप में ही देखा जा सकता है। एमए में उनके 2 प्रतिशत अंकों की कमी की भरपाई राज्य के लिए 29 वर्षों की मूल्यवान सेवा से होती है और उनका लंबा अनुभव अपने आप में एक संपत्ति थी। इन परिस्थितियों में, शैक्षिक योग्यता में मामूली विसंगति को एक विशेष मामले के रूप में छूट दी जा सकती थी।

(पैरा 25)

आगे यह भी कहा गया कि प्रतिवादी-राज्य 1985 में याचिकाकर्ता को उसके नाम पर रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित होने पर कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करने में अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता है। प्रतिवादी-राज्य को किसी व्यक्ति को पेंशन और पेंशन लाभ के अधिकार के बिना तदर्थ कर्मचारी की स्थिति में छोड़कर 29 वर्षों तक नियोजित करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। राज्य और छात्रों को दी गई लंबी और भरोसेमंद सेवा, सेवा पेंशन अर्जित करने की पूर्व शर्त है। याचिकाकर्ता को दिन के अंत में और उसके जीवन की शाम को उदास और शुष्क छोड़ दिया गया है। इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों द्वारा दर्शाया गया सहानुभूतिपूर्ण विचार, विवादित आदेश के बनाने के समय सहानुभूतिपूर्ण विचार में परिवर्तित नहीं हुआ है, जो कि बिना उचित दिमाग के कठोर और यांत्रिक है। यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय पर समय से कार्रवाई की गई होती तो राज्य के रुख को सही ठहराया जा सकता था, लेकिन समय बीतने के साथ और तीन दशकों तक याचिकाकर्ता की सेवाओं का उपयोग करने वाले राज्य के कार्य द्वारा मुझे प्राधिकरणों या इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करना पूरी तरह से असमान, अनुचित, दमनकारी और मनमाना प्रतीत होगा।

(पैरा 26)

अलका चतरथ, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

श्रुति जैन गोयल, ए. ए. जी, हरियाणा।

न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना।

(1) याचिकाकर्ता ने नवंबर 1985 से 31 जुलाई, 2014 को अपनी सेवानिवृत्ति तक शिक्षा विभाग, हरियाणा में अंग्रेजी (स्कूल संवर्ग) में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तदर्थ आधार पर हुई थी, लेकिन उन्हें रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नामों में से चयन समिति द्वारा भर्ती किया गया था। अपनी सेवाओं को नियमित कराने के अपने संघर्ष में असफल होने के बाद उन्हें उसी स्थिति में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। विभाग में उनकी सेवा उनके वरिष्ठों

के लिए संतोषजनक थी क्योंकि उनके काम पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी। वह अपने काम और आचरण के बारे में बिना किसी दोष के सेवा से सेवानिवृत्त हुईं।

(2) हरियाणा सरकार ने समय-समय पर उन तदर्थ कर्मचारियों आदि की सेवाओं को नियमित करने विभिन्न अधिसूचनाएँ जारी कीं, जिन्होंने नीतियों के तहत निर्दिष्ट दिन पर न्यूनतम दो साल की सेवा पूरी की हो। ये अधिसूचनाएँ 28 जनवरी,1970, 28 फरवरी,1991, 1 जून,1993, 11 मई,1994, 07 मार्च,1996 की हैं, जिनकी प्रतियां पी-6 के अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न हैं।

(3) याचिकाकर्ता के कार्यकाल में अगला महत्वपूर्ण मील का पत्थर 26 अगस्त, 1997 को आया जब हरियाणा के राज्यपाल ने 30 सितंबर, 1988 को दो साल की सेवा पूरी करने वाले सभी तदर्थ खंड III कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया। याचिकाकर्ता ने कटौती की तारीख से पहले दो साल की सेवा दी थी लेकिन उसका मामला लंबित रखा गया था। उन्होंने 1992 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा से एक अभ्यावेदन देकर अनुरोध किया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए। उनकी सेवा पुस्तिका स्कूल अधिकारियों द्वारा अप्रैल 1991 में जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा को आगे प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, हालांकि इसी तरह के अन्य कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था। इसके बाद, मामला विभिन्न अधिकारियों के बीच चलता रहा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद मामला अनसुलझा रहा।

(4) हरियाणा सरकार द्वारा 05 नवंबर, 1999 को एक नवीनीकृत नियमितीकरण नीति को अधिसूचित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी ग्रुप-सी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार के नीतिगत उपाय के रूप में सहमति व्यक्त की गई थी, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से न्यूनतम 15 साल की अवधि के लिए इस पद पर थे और जो उस तारीख को सेवा में थे और जिनकी सेवाओं को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण नियमितीकरण नीति के तहत पहले नियमित नहीं किया जा सका था।

(5) याचिकाकर्ता को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने के उसके लक्षय से दूर रखने वाली अड़चन यह है कि उसने अंग्रेजी में एम. ए. में 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि 50 प्रतिशत अंक आवश्यक थे और इस कारण से, नियमितीकरण के दावे पर सकारात्मक रूप से विचार नहीं किया गया है।

(6) याचिका को चुनौती देने के लिए दायर लिखित बयान में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को अंग्रेजी में पीजीटी के रूप में चुना गया था। नियुक्ति के समय 23 अप्रैल, 1985 के विभागीय निर्देश लागू थे और निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों के खंड 12 के अनुसार, व्याख्याता के पद के लिए न्यूनतम योग्यता इस प्रकार थी:-

> "प्लस 2 स्तर पर सामान्य शिक्षा स्पेक्ट्रम के किसी भी विषय को पढ़ाने वाले व्याख्याता के पास संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर योग्यता (M.A./M.Sc./M.Com) होनी चाहिए।
>
> M.A./M.Sc./M.Com में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त उन व्याख्याताओं पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही '11' कक्षा पढ़ा रहे हैं और नियमित रूप से कार्यरत हैं।निम्नलिखित विषयों में व्याख्याताओं के पास प्रत्येक के सामने उल्लिखित योग्यताएँ भी हो सकती हैं।"

(7) इस नियम को पूरी तरह से कठोर नहीं बनाया गया था। उन व्याख्याताओं को छूट दी गई जो पहले से ही 11 वीं कक्षा पढ़ा रहे थे और जो नियमित रूप से कार्यरत थे। "नियमित रूप से कार्यरत" का मतलब स्पष्ट रूप से 23 अप्रैल, 1985 के निर्देशों से पहले होगा। राज्य स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ता को विभागीय चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया गया था। राज्य जिला शिक्षा विभाग पर याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता के बारे में सत्यापित दस्तावेज नहीं रखने का आरोप लगाता है और आरोप लगाता है कि संबंधित डीडीओ ने याचिकाकर्ता की योग्यता/अंकों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और उसे ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति दी। राज्य ने प्रस्तुत किया कि मामले पर बार-बार विचार किया गया था, लेकिन उसके श्रेय के लिए आवश्यक योग्यता की कमी के कारण उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि उसके अंक निर्धारित

50 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कम थे, जैसा कि वैधानिक नियमों में नहीं बल्कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों में निर्धारित किया गया था। विभाग का कहना है कि वर्ष 1999 में याचिकाकर्ता का मामला 05 नवंबर, 1999 के नीतिगत निर्देशों के आधार पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए नियमों में ढील देने मुख्य सचिव हरियाणा को भेजा गया था, लेकिन मुख्य सचिव ने पाया कि याचिकाकर्ता का मामला उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसने 05 नवंबर, 1999 को तदर्थ आधार पर 15 साल की सेवा पूरी नहीं की थी। याचिकाकर्ता 26 नवंबर, 1985 को 07 अक्टूबर, 1985 के नियुक्ति पत्र के तहत शामिल हुआ। वह एक साल छोटी थी। इस प्रकार दावे को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह मान्य नहीं था।

(8) श्री ए. एस. मान, विशेष सचिव, हरियाणा सरकार स्कूल शिक्षा विभाग, पंचकूला के द्वारा दायर लिखित बयान के पैराग्राफ 5 में कहा है कि यह मामला विभाग के संज्ञान में नहीं था, कि याचिकाकर्ता को सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था।

(9) यहाँ लिखित कथन में एक द्विभाजन है। पैराग्राफ 2 में वे निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा 23 अप्रैल, 1985 को जारी विभागीय निर्देशों के खंड 12 का उल्लेख करते हैं, जबकि पैराग्राफ 5 में यह आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति सरकारी निर्देशों का उल्लंघन थी। स्थानीय विभागीय निर्देशों और सरकारी निर्देशों में अंतर है। सरकारी निर्देश आमतौर पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में सेवा मामलों में जारी किए जाते हैं। 23 अप्रैल, 1985 के विभागीय निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है और इस पृष्ठभूमि में कि नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों की आवश्यकता को निर्दिष्ट करने वाले संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए थे। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा 23 अप्रैल, 1985 के अपने निर्देशों में निर्धारित 50 प्रतिशत अंक हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हैं और इसलिए, सरकार अपनी विफलताओं का कोई लाभ नहीं उठा सकती है।

(10) स्कूल संवर्ग में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों के पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता हरियाणा राज्य स्कूल एजुकेशन लेक्चरर स्कूल कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 और हरियाणा स्टेट स्कूल एजुकेशन कैडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2012, के नियमों के संदर्भ में है। ये दोनों नियम 1985 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद के हैं। बाकी के लिए, राज्य **सचिव, कर्नाटक राज्य** बनाम **उमा देवी** *(3)* [2] मामले में अनियमित और अवैध नियुक्तियों के बीच अंतर बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 53 के विशेष संदर्भ में तदर्थ श्रम/दैनिक मजदूरी/तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में **कर्नाटक राज्य और अन्य** बनाम **एम. एल. केसरी और अन्य** [1] पर निर्भर करता है ।

(11) राज्य का कहना है कि याचिकाकर्ता एक अयोग्य व्यक्ति है और इसलिए नियुक्ति ही अवैध है। यह सोचना कि राज्य सरकार के अनुसार एक शिक्षक के रूप में तीन दशकों की मूल्यवान सेवा में की गई अवैधता किसी क्षण की बात नहीं है, एक परपीड़क दृष्टिकोण है जिसका श्रेय राज्य को नहीं जाता है। योग्यता के मामले में, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया था, हालांकि उन्हें चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में वर्ष 1985 में नियुक्त किया गया था, यह कहते हुए कि उन्होंने अपनी एमए अंग्रेजी परीक्षा 48 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है और 50 प्रतिशत अंकों के साथ नहीं, जैसे कि वह तकनीकी रूप से योग्यता को पूरा नहीं कर रही हैं, हालांकि इसी तरह की परिस्थितियों में, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरायना ने आदेश नंबर 317/Estt.-II ने 09 अगस्त, 2006 को पारित किया, जिसके तहत अनुबंध के आधार पर काम करने वाले छह कार्यशाला प्रशिक्षकों/ प्रयोगशाला तकनीशियनों की सेवाओं को 1 अक्टूबर, 2003 से 1 अक्टूबर, 2003 और 10 फरवरी, 2004 के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी गई योग्यताओं में छूट देते हुए मेमो नंबर 51/105/2004-5 टी.ई. दिनांक 17 जुलाई, 2006 के अनुसार नियमित किया गया था। 09 अगस्त, 2006 के आदेश की एक प्रति पी-16 के रूप में संलग्न है।

(12) इसी तरह, तकनीकी शिक्षा निदेशक, हरियाणा ने आदेश No.335/Estt.-II दिनांक 14 अगस्त, 2006 के अनुसार 1 अक्टूबर, 2003 से जूनियर प्रोग्रामर के पद पर दो व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित किया, जो तकनीकी-सह-मैकेनिक-कम-कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे। 14 अगस्त, 2006 के आदेश की एक प्रति अनुलग्नक पी-17 में है। इसी तरह, तकनीकी शिक्षा निदेशक ने आदेश संख्या 319-Estt तिथि 20 जुलाई, 2005 द्वारा कार्यशाला प्रशिक्षकों के पद के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर काम करने वाले प्रयोगशाला तकनीशियनों की सेवाओं को 1 अक्टूबर, 2003 से नियमित किया गया और उन्हें कार्यशाला प्रशिक्षकों के रूप में फिर से नामित किया गया। इस आदेश की एक प्रति अनुलग्नक पी-18 में रखी गई है। इन आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि इन व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित किया गया है, हालांकि वे पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं कर रहे थे या इस कारण से कि कोई खाली पद नहीं थे, फिर भी उन्हें फिर से नामित किया गया था और 1 अक्टूबर, 2003 से नियमित किया गया था, हालांकि उन्हें याचिकाकर्ता के बाद जो 1985 में नियुक्त किया गया था, वर्ष 1998 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था।

(13) याचिकाकर्ता ने नियम, 2012 के नियम 17 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि सरकार के पास छूट की शक्ति है, जिस शक्ति का उपयोग याचिकाकर्ता के पक्ष में एक विशेष मामले के रूप में किया जा सकता था, क्योंकि उसने लंबे वर्षों तक सेवा की थी। उन्होंने अपनाए गए मानदंडों के अनुसार विभागीय चयन समिति द्वारा से अपनी नियुक्ति प्राप्त करने में कोई गलत जानकारी नहीं दी और न ही कोई छल किया। बाकी के मामले में, याचिकाकर्ता के मामले पर 10 फरवरी, 2004 की अधिसूचना के अनुसार छूट के लिए विचार किया जा सकता था, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना में कुछ संशोधन करके उन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अधिसूचित किया, जिनके पास तदर्थ/अनुबंध आधार पर नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने 30 सितंबर, 2003 को आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली थी। यह बताया जा सकता है कि उमा देवी (3) में निर्णय के बाद 17 जून, 1997,05 नवंबर, 1999 और 1 अक्टूबर, 2003 के निर्देशों को 13 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसे बाद में 18 जून, 2014 के नीतिगत निर्देशों द्वारा समूह-सी

और समूह-डी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार की नीति अधिसूचना द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा। इन निर्देशों को इस अदालत में 2014 के लंबित लीड केस सी. डब्ल्यू. पी. नं. 17206, **योगेश त्यागी और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य** मामले में चुनौती दी गई है और नीति बनी हुई है।

(14) तथ्यों के विवरण पर लौटते हुए यह देखा जा सकता है कि जब याचिकाकर्ता, सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ थी, तो उसने 05 जुलाई, 2005 को एक कानूनी नोटिस दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसकी सेवाओं को निर्देशों के अनुसार नियमित किया जाए क्योंकि वह तब तक पिछले 21 वर्षों से काम कर रही थी। चूंकि उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने नियमितीकरण का दावा करते हुए 2005 का सी. डब्ल्यू. पी. नं.16636 दायर किया। याचिका का निपटारा चार महीने की अवधि के भीतर कानूनी नोटिस पर फैसला करने के निर्देश के साथ किया गया था। मुख्य सचिव ने 24 जुलाई, 2006 को इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था, जैसा कि पहले कहा गया था, कि उसने 05 नवंबर, 1999 तदर्थ आधार पर 15 साल की सेवा पूरी नहीं की। यह आदेश हरियाणा चंडीगढ़ के स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा पारित किया गया था, जिसकी एक प्रति रिट पेपर-बुक के P.98 पर अनुलग्नक P-15 पर रखी गई थी। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने 2007 की सी. डब्ल्यू. पी. नं.5055 वाली अपनी दूसरी रिट याचिका में चुनौती दी थी। मामला स्वीकार कर लिया गया। जब याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के करीब थी तो उसने सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 2013 का सीएम नं.13410 दाखिल करके अदालत का दरवाजा खटखटाया। 19 सितंबर, 2013 को आवेदन पर नोटिस जारी किया गया था और राज्य के वकील को निर्देश लेने के निर्देश दिए गए थे कि क्या याचिकाकर्ता को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है क्योंकि वह 1985 से तदर्थ आधार पर काम कर रही थी। 9 अप्रैल, 2014 को राज्य के वकील को प्रशासनिक राहत के बारे में निर्देश लेने के लिए कहा गया था जो याचिकाकर्ता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है कि वह 1985 से तदर्थ सेवा पर है। सुश्री चतरथ द्वारा प्रचार में एकमात्र बाधा यह है कि याचिकाकर्ता ने एम. ए. अंग्रेजी में 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, जबकि नियम के अनुसार 50 प्रतिशत की

आवश्यकता थी। प्रशासक सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों पर विचार कर सकता है जो यह निर्धारित करते हैं कि कुछ मामलों में अनुभव स्वयं योग्यता का एक अच्छा विकल्प है।

(15) जब मामला 1 जुलाई, 2014 को सामने आया और अधिकारियों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, तो वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया और इसी पृष्ठभूमि में 23 जुलाई, 2014 का आदेश याचिकाकर्ता के नियमित करने के दावे को खारिज करते हुए पारित किया गया, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।

(16) विभाग ने एम. ए. डिग्री में अपेक्षित प्रतिशत के लिए याचिकाकर्ता के मामले को खारिज कर दिया था, लेकिन वास्तव में मुख्य सचिव को नियमों में ढील देकर मामले की जांच करने के लिए कहा गया था और उन्होंने इसे एक उपयुक्त मामला नहीं पाया क्योंकि उन्होंने 05 नवंबर, 1999 को 15 साल का तदर्थ पूरा नहीं किया था। इसलिए 05 जनवरी, 1989 के निर्देशों में ढील नहीं दी जा सकी। लेकिन अधिकारी ने 2 प्रतिशत अंकों के अंतर में छूट पर विचार करने के मुख्य अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया।

(17) यदि मुख्य सचिव 05 नवंबर, 1999 को तदर्थ आधार पर 15 साल की सेवा पूरी नहीं करने के मामले पर विचार करते हैं और इसे खारिज कर देते हैं, तो एम. ए. में 2% कम अंकों का मुद्दा पृष्ठभूमि में चला गया था और अब यह याचिकाकर्ता के मामले की प्रमुख बाधा या अस्वीकृति का आधार नहीं था।यह वही आदेश है जो इस याचिका में आक्षेपित है। एम. ए. परीक्षा में अंकों के मुद्दे पर मुख्य सचिव द्वारा छूट के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए था और बिना पारिश्रमिक के दशकों की सेवा की पृष्ठभूमि में पेंशन से वंचित किया जाना चाहिए था।

(18) उनकी दलीलों के समर्थन में पुनः छूट, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता **शिमला देवी** बनाम **पंजाब राज्य** [3] में इस अदालत के फैसले पर निर्भर करता है जो पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा न करने के आधार पर नियमितीकरण से इनकार करने का मामला है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के **भगवती**

प्रसाद बनाम **दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम** [4] और **गुजरात कृषि विश्वविद्यालय** बनाम **राठौड़ लाभू बेचर** [5]में सुनवाई के निर्णय पर भरोसा किया।

(19) **डॉ. एम. एस. मुधोल** बनाम **एस. डी. हलेगकर** [6] में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निजी सहायता प्राप्त स्कूल के प्राचार्य के मामले पर विचार किया, जिसे वर्ष 1981 में चयन समिति की गलती के कारण नियुक्त किया गया था, हालांकि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता नहीं थी, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि उसने योग्यता के अलावा अन्य योग्यता का अनुमान लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 12 साल की अवधि के बाद उसे अपनी गैर-गलती के लिए पीड़ित करना अन्यायपूर्ण होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:-

> "चूँकि हम पाते हैं कि 1981 में पहले प्रतिवादी की नियुक्ति को अवैध रूप से मंजूरी देने में दूसरे प्रतिवादी, शिक्षा निदेशक की ओर से चूक हुई थी, हालाँकि उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप पहले प्रतिवादी ने पिछले 12 वर्षों से उक्त पद पर बने रहना जारी रखा है, अब, इस अंतिम चरण में उन्हें उक्त पद से परेशान करना अनुचित होगा, विशेष रूप से जब उनका चयन किए जाने पर उनकी कोई गलती नहीं थी। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उस समय उन्होंने अपनी योग्यता के अलावा अपनी योग्यता का अनुमान लगाया था। इसलिए, यदि चयन समिति के समक्ष अपने सभी कार्ड रखने के बावजूद, चयन समिति ने किसी न किसी कारण से उन्हें इस पद के लिए चुनना उचित समझा था और दूसरे प्रतिवादी ने नियुक्ति में सहमति व्यक्त करने का विकल्प चुना था, तो अब उन्हें उसी के लिए पीड़ित करना असमानताएं होंगी। अवैधता, यदि कोई हो, तो चयन समिति और दूसरे प्रतिवादी द्वारा की गई थी। इसके लिए अकेले उन्हें ही दोषी ठहराया जा सकता है।"

(20) मामला कानून के अलावा, याचिकाकर्ता ने भेदभाव का एक मामला दिया हैजहां समान रूप से स्थित व्यक्तियों को तकनीकी शिक्षा विभाग में लाभ प्रदान किया गया है। इसके अलावा नियम 17 सरकार को किसी भी नियम की

आवश्यकता में ढील देने की शक्ति प्रदान करता है। सरकार पर इस शक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई को कम करना और किसी मामले से न्यायपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से निपटना है। सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए नियमों/निर्देशों की आवश्यकता में ढील दे सकती है। ऐसे मामले हैं जहां आवश्यक अनुभव नहीं था लेकिन नियम में ढील दी गई थी ताकि नियुक्ति को अमान्य न किया जा सके। बहुत कुछ मामले-दर-मामले और सामने आने वाली समस्या पर निर्भर करेगा, जिसके लिए एक छोटी और अप्रासंगिक तकनीकी खामी को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि वर्तमान मामले में एम. ए. योग्यता में 2% की कमी और हरियाणा में स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 29 वर्षों के खिलाफ 2% की कमी को संतुलित किया गया है जो स्वयं एक प्रमुख योग्यता है। ऐसी स्थिति लगभग भगवती प्रसाद मामले (सुप्रा) जैसी ही है। उस मामले में मुद्दा एक नियुक्त व्यक्ति की पुष्टि के बारे में था, हालांकि उसके पास न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर पुष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति के पास काफी समय तक काम करने के बाद निर्धारित योग्यता की कमी है। व्यावहारिक अनुभव हमेशा व्यक्ति को कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सहायता करता है। मेरे विचार में एमए परीक्षा में प्राप्त अंकों में मामूली कमी पर एक व्यावहारिक संरचना को रखा जाना चाहिए। रियायतों और छूटों के मामले में मानदंडों पर एक लाभकारी संरचना लागू की जानी चाहिए। देखें **संदीप कुमार शर्मा** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** [7] जहां पुलिस उपाधीक्षक जेल/जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद के लिए एक उम्मीदवार की ऊंचाई 1.20 सेंटीमीटर कम पाई गई। जिस दिन उम्मीदवार को कम आंका गया था, उस दिन राज्य सरकार ने "उन लोगों के रिश्तेदारों के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए नीति तैयार की थी, जिन्होंने या तो आतंकवाद के कारण पीड़ित हुए हैं या जिन्होंने साहसपूर्वक आतंकवाद का सामना किया है और इससे उबरने में योगदान दिया है।" अपीलकर्ता एक आई. पी. एस. अधिकारी का भाई था जिसने पंजाब राज्य में "आतंकवाद से निपटने और सामान्य स्थिति लाने में सामान्य सेवा प्रदान की"। राज्य सरकार ने उम्मीदवार के पक्ष में नियम में ढील दी और एक अन्य उम्मीदवार द्वारा चुनौती दिए जाने पर हमले को रोक दिया गया

और छूट को बरकरार रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी गतिविधि के कारण पीड़ित पुलिसकर्मी के परिजन को विशेष ध्यान देने में कुछ भी अनुचित नहीं पाया।

(21) **गुजरात कृषि विश्वविद्यालय** (सुप्रा) में, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दस साल से अधिक समय तक सेवा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम करने वाले श्रमिकों को उनके लंबे अनुभव के आधार पर योग्यता में ढील देकर भी अवशोषित और नियमित किया जाना चाहिए। लंबे समय तक काम जारी रखने से इसके पक्ष में अनुमान लगाया जाता है।

(22) **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड** बनाम **पूरन चंद्र पांडे और अन्य** [8] में, सर्वोच्च न्यायालय ने 22 वर्षों की सेवा में लगे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा के नियमितीकरण के दावे पर विचार किया और सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे वर्षों की सेवा के बाद नियमितीकरण के लाभ से इनकार को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना। इनकार में कार्रवाई मनमाना और अनुचित होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उमा देवी के मामले (सुप्रा) को किसी विशेष मामले के तथ्यों को देखे बिना यंत्रवत रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तथ्यों में थोड़ा सा अंतर उस मामले के तथ्यों को लागू नहीं कर सकता है क्योंकि यह निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य को बदल सकता है। सरकार को उचित और गैर-मनमाना तरीके से कार्य करना चाहिए अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जाएगा।

(23) **सरबजीत कौर ढलीवाल** बनाम **पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, लुधियाना** [9] में, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति के मामले पर विचार किया जिसके पास द्वितीय श्रेणी बी. एससी (कृषि)/बी. एससी. (गृह विज्ञान) और विज्ञापित योग्यता के अनुसार अर्थशास्त्र के साथ बी. ए. की अपेक्षित योग्यता नहीं थी। याचिकाकर्ता स्नातक था लेकिन आवश्यकतानुसार द्वितीय श्रेणी में नहीं था। उन्होंने बी. ए. में 49 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आगे के तथ्यों को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अदालत ने अंततः जो निर्णय दिया वह यह था कि जब पद पर नियुक्ति की मांग में उम्मीदवार की ओर से कोई गलत व्याख्या नहीं की जाती है और उम्मीदवार को

आवश्यक योग्यता नहीं होने के बावजूद नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवाओं को आवश्यक योग्यता के अभाव में नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, पद के लंबे अनुभव के बाद उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पर्याप्त अनुभव योग्यता की कमी का एक अच्छा विकल्प है। यदि उम्मीदवार की सेवा समाप्त नहीं की जाती है और वह इस सिद्धांत पर जारी रहती है, तो नियमितीकरण के लिए उसका मामला एक दूर का सपना होगा।

(24) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई एम. ए. की डिग्री की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हैं। 4 अगस्त, 1979 को जारी प्रमाण पत्र से पता चलता है कि उन्हें 2 साल (सेमेस्टर प्रणाली) के अध्ययन पाठ्यक्रम के तहत अंग्रेजी साहित्य में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय से अर्जित बी. एड डिग्री में, याचिकाकर्ता ने 15 सितंबर, 1989 के परिणाम-सह-विस्तृत अंक पत्र के अनुसार भाग-I, II और III में 1000 में से 552 अंक एकत्रित किये थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने द्वितीय श्रेणी में एम. ए. पास किया जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रमाणित किया गया है। वह कुमार जाति से ताल्लुक रखती हैं जिसे हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया था। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 1 दिसंबर, 1978 से 13 मार्च, 1981 तक शिशु विहार स्कूल, बीकानेर में सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ाया। इसके बाद, उन्हें सेठ जी. बी. पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़ (राज.) में अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने लगभग ढाई महीने तक पढ़ाया और 21 सितंबर, 1981 से 18 नवंबर, 1981 तक स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी में व्याख्याता के पद पर श्री कृष्ण सतसंग बालिका कॉलेज, सीकर (राज.) में अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुईं। उन्होंने ग्रामथन विद्यापीठ कन्या महाविद्यालय, सांगरिया में अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने 05 जनवरी, 1983 से 1 मार्च, 1985 तक अस्थायी आधार पर काम किया। सिरसा में शादी के बाद उन्हें सिरसा के महाराजा अग्रसेन कन्या हाई स्कूल में टी. जी. टी. के रूप में नियुक्त किया गया और वहां से उन्होंने आवेदन किया और हरियाणा के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सेवा करने के लिए अंग्रेजी (स्कूल संवर्ग) में व्याख्याता

के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी पहली पोस्टिंग सरकारी हाई स्कूल, रिसालिया खेरा (सिरसा) में थी और 26 नवंबर, 1985 को सेवा में शामिल हुईं।

(25) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने हरियाणा के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने में 29 साल बिताए। उन्होंने नियुक्ति के समय अपनी शैक्षिक योग्यता के संबंध में कोई तथ्य नहीं छिपाया। वह एक योग्य बी. एड. थीं। हो सकता है कि एमए परीक्षा में उनके 2 प्रतिशत अंक कम रहे हों, लेकिन उस कमी को केवल एक तकनीकी दोष के रूप में केवल कई दशकों में पूरा किए गए काम के खिलाफ देखा जा सकता है। एमए में उनके 2 प्रतिशत अंकों की कमी की भरपाई राज्य के लिए 29 वर्षों की मूल्यवान सेवा से होती है और उनका लंबा अनुभव अपने आप में एक संपत्ति था। इन परिस्थितियों में, शैक्षिक योग्यता में मामूली विसंगति को एक विशेष मामले के रूप में कम किया जा सकता था।

(26) प्रत्यर्थी-राज्य 1985 में याचिकाकर्ता को नियुक्त करने में अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है, उसके नाम पर कानून की सम्यक प्रक्रिया द्वारा से रोजगार विनिमय द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रत्यर्थी-राज्य को किसी व्यक्ति को 29 वर्षों तक काम पर रखने के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिससे वह पेंशन और पेंशन लाभों के अधिकार के बिना एक तदर्थ कर्मचारी की स्थिति में रह जाए। राज्य और छात्रों को दी जाने वाली लंबी और भरोसेमंद सेवा, सेवा पेंशन अर्जित करने की पूर्व आवश्यकता है। याचिकाकर्ता को दिन के अंत में और उसके जीवन की शाम को ऊँचा और सूखा छोड़ दिया गया है। इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों द्वारा इंगित सहानुभूतिपूर्ण विचार, आक्षेपित आदेश के बनाने के समय सहानुभूतिपूर्ण विचार में परिवर्तित नहीं हुआ है, जो कि बिना विवेक के कठोर और यांत्रिक है। यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय, समय पर कार्रवाई की गई होती तो राज्य के रुख को सही ठहराया जा सकता था, लेकिन समय बीतने के साथ और तीन दशकों तक याचिकाकर्ता की सेवाओं का उपयोग करने वाले राज्य के कार्य द्वारा मुझे प्राधिकरणों या इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करना पूरी तरह से असमान, अनुचित, दमनकारी और मनमाना प्रतीत होगा।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2018(1) पेज नं. 379-390

चंदर कांता वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना)

(27) मुझे इस मामले के विशेष तथ्यों में याचिकाकर्ता को 24 जुलाई, 2006 (पी-15) और 23 जुलाई, 2014 (पी-21) के विवादित आदेशों को दरकिनार करके न्यायसंगत और न्यायसंगत आधारों पर राहत देने के लिए पर्याप्त औचित्य मिलता है, जो बाद में इस अदालत के निर्देश पर याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान पारित किए गए थे ताकि उसके द्वारा पहले दायर 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 5055 में एक आदेश पारित किया जा सके।

(28) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, रिट याचिका को परिणामी लाभों के साथ अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता को नियमितीकरण की घोषणा का हकदार माना जाता है। प्रतिवादी को वर्तमान निर्णय के आलोक में एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। एम. ए. डिग्री में 2 प्रतिशत की कमी को नजरअंदाज करते हुए छूट के अनुसार नियत तारीख से नियमित किया जाएगा। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के कानून के प्रासंगिक समय पर जहां से याचिकाकर्ता पढ़ता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री में 48 प्रतिशत अंकों को द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने के रूप में मानते हैं।

डॉ सुमति जुंड

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनुराधा मुंजाल